कार्यालय, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पथरिया, जिला –मुंगेली (छ.ग.)

// ज्ञापन //

कमांक/1568 /स्था/आं.बा. कार्य/सहा. भर्ती /मबावि/2026–27 पथरिया, दिनांक 25/11/26

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के आदेश कमांक /728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं संशोधित आदेश कमांक/1226/1098/2008/मबावि /50 नवा रायपुर दिनांक 21.04.2023 के निर्देशों एवं संचालनालय , महिला एवं बाल विकास ,छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन ब्लॉक–1 ,द्वितीय तल , नया रायपुर ,अटल नगर के पत्र कमांक /IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर दिनांक 27.01.2026 के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना पथरिया ,जिला – मुंगेली (छ.ग.) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । इच्छुक आवेदिकाओं से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक **03.12.2026 से 17.12.2026** तक ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं होगा । आवेदन करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका भर्ती हेतु ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** में आवेदिका को पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा । **पंजीयन प्रकिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध " उपयोगकर्ता मेनुअल " की सहायता ली जा सकती है।**

(ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15.12..2026 के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।)

क.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सेक्टर का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	6
1	गोइंद्री कं 04	गोइंद्री	गोइंद्री	भटगांव	आं.बा.सहायिका

आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अषासकीय पद है तथा यह पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।

आवेदन किए जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ है :–

1. आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 से अधिकतम 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी) सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगा । (**आयु की गणना आवेदन आमंत्रित किये जाने के दिनांक से की जाएगी**)
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)
3. **निवासी होने का प्रमाण में –**
   (क) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड़ की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।
   (ख) ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव तथा नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो । निवास के संबंध में आपत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
4. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए।**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं अथवा 11 बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी /ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवी बोर्ड रखी जावेगी । इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुन : शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका ना मिलने पर पांचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। यदि पांचवी उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है । सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पांचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी । यदि पांचवी उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है ।

5. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका राज्य शासन के योजना परियोजना अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी ,बालवाड़ी , झुलाघर , शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता सहायिका से है इनके कार्य के अनुभव हेतु उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
6. गरीबी रेखा के संबंध में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची से) सक्षम अधिकारी (ग्रामीण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा ।

   टीपः– संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र कमांक 8513/आईसीडीएस–1 /2020–21 नवा **रायपुर दिनांक 15.01.2021 में दिए गये सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011** के आकडे का उपयोग संबधी निर्देशानुसार गरीबी रेखा प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे ।
7. अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । वैध प्रमाण पत्र के आधार पर ही अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है ।
8. **विधवा ,परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगें।**

   (अ) **परित्यकता महिला** होने के संबंध में 2 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा। **(अवधि की गणना आवेदन आमंत्रित करने के दिनांक से की जाएगी)** परित्यकता होने का दिनांक स्पष्ट अंकित हों। एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र /नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम /नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो उसे प्रस्तुत किये जावे अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत् संबंधी आदेश ।

   टीप :– विवाद की स्थिति मे ससुराल पक्ष से सरपंच/सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

   (ब) **तलाकशुदा महिला** होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

   (स) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

   (द) **विधवा** के मामले मे मृत्यू प्रमाण पत्र के साथ सरपंच /सचिव से हस्ताक्षरित विधवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. अनुसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम मे आठवी तक अध्ययन करने पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है । उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रधान पाठक /संस्था प्रमुख से हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. आवेदिका आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों को स्वयं भली भांति जांच कर लेवें । दस्तावेज स्व प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा ।
11. आठवीं परीक्षा ग्रेड प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले आवेदिकाओं को ग्रेड प्रमाण पत्र के साथ संस्था प्रमुख /प्रधानपाठक द्वारा जारी अंक सत्यापित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अंक सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अंकसूची में उल्लेखित प्राप्त ग्रेड हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को वरीयता सूची तैयार करने हेतु मान्य किया जायेगा । (सहायिका पद हेतु)
12. संलग्न दस्तावेजों को निम्नानुसार कम में अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपलोड़ करें ।
    1. निवास संबंधी प्रमाण पत्र ।

2. जन्म तिथि सत्यापन हेतु 5वी, 8वी, 10वी कक्षा की अंक सूची , हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा 12वीं) का प्रमाण पत्र (आं.बा. कार्यकर्ता पद हेतु ।)
3. जन्म प्रमाण पत्र ,मतदाता परिचय पत्र/ आधार कार्ड/ ।
4. आं.बा.सहायिका पद हेतु कक्षा 8 वीं का प्रमाण पत्र। (अंक सूची सहित)
5. विधवा/परित्यकता /तलाकशुदा संबधी प्रमाण पत्र ।
6. जाति प्रमाण पत्र ।
7. गरीबी रेखा प्रमाण पत्र ।
8. अनुभव प्रमाण पत्र ।
9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वीं तक अध्ययनरत का प्रमाण पत्र।
10. अन्य दस्तावेज ।

13. **नियुक्ति प्रकिया के चरण –**

(क) आवेदन – रिक्त पद हेतु संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** के माध्यम से ही निर्धारित अवधि के भीतर संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज सहित आवेदन किया जाना है। **किसी भी स्थिति में ऑफलाईन (डाक से , परियोजना कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।)**

(ख) दावा– आपत्ति – ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति उपरांत अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात , जारी अनन्तिम योग्यता सूची ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड़ किया जाएगा तथा परियोजना कार्यालय , जनपद कार्यालय एवं संबधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चस्पा किया जाएगा । किसी भी प्रकार का दावा एवं आपत्ति होने पर आवेदिका को दावा एवं आपत्ति ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज किया जाना होगा । ***किसी भी प्रकार का नवीन दस्तावेज दावा आपत्ति के दौरान स्वीकार नहीं किया जाएगा।*** **(विशेषकर वे नवीन दस्तावेज जिनके माध्यम से बोनस अंक प्रदाय किये जाने संबंधी प्रावधान है।)**

(ग) अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेष – मूल्यांकन सह छानबीन समिति के द्वारा दावा आपत्ति निराकरण उपरांत जारी अंतिम चयन पत्रक का स्थायी समिति (महिला एवं बाल विकास विभाग) जनपद पंचायत पथरिया से अनुमोदन पश्चात परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) परियोजना पथरिया द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा ।

14. **आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु मूल्यांकन पत्रक में निम्नानुसार मूल्यांकन एवं निर्धारित अतिरिक्त बोनस अंक का विवरण निम्नानुसार है :–**

क्रं	योग्यता	प्रदान किये जाने वाले अंक	कुल अधिकतम प्राप्तांक
1	**कार्यकर्ता पद हेतु** – 12वीं बोर्ड अथवा , जो भी लागू हो अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता । **सहायिका पद हेतु** – 8वी उत्तीर्ण अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता ।	कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत के 60 प्रतिशत अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक समय तक परित्यकता अथवा तलाकशुदा होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र)	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका /सहसहायिका होने पर	01 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव पर 6 अंक	06
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची से)	6 अंक	06
6	अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम मे 8वी तक अध्ययन करने पर	3 अंक	03
	योग (अधिकतम प्राप्तांक)	100 अंक	100

जारी विज्ञापन में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि परिलक्षित होने या विवाद की स्थिति निर्मित होने की दषा में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर कंमाक /728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास छ.ग. ब्लॉक 1, द्वितीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल

नगर पत्र कमांक /6436/मबावि/आई–04/2022–23 नवा रायपुर दिनांक 29.09.2023 द्वारा जारी आं.बा. कार्यकर्ता / सहायिका भर्ती यथा संषोधित निर्देश में निहित प्रावधानो /षर्तो के अनुरूप नियुक्ति की प्रकिया पूर्ण की जावेगी ।

नोट :– दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगें ।

(बिरेन्द्र कुमार खरे 25/11/2026
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पथरिया , जिला – मुंगेली (छ.ग.)

पत्र कमांक/ 1569 /स्था/आं.बा. कार्य/सहा. भर्ती /मबावि/2026–27 पथरिया, दिनांक 25/11/26

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया , जिला मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ, एवं प्रचार /प्रसार मुनादी हेतु सादर अनुरोध ।
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी सदस्य मूल्यांकन समिति पथरिया की ओर सादर सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु सादर अनुरोध ।
4. सभापति ..... विषय समिति जनपद पंचायत पथरिया की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. संबधित सेक्टर पर्यवेक्षक सेक्टर ..... को सूचनार्थ एवं संबधित ग्राम/वार्ड मे विज्ञापन चस्पा कराने सरपंच /सचिव को पत्र तामिल कराने , मुनादी कराने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे प्रस्तुत करने हेतु पालनार्थ ।
6. स्थापना शाखा प्रभारी परियोजना कार्यालय , परियोजना पथरिया को सूचनार्थ एवं सर्व संबधितो को पत्र तामिनी हेतु पालनार्थ ।
7. कार्यालयीन रिकार्ड हेतु ।

(बिरेन्द्र कुमार खरे 25/11/2026
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पथरिया , जिला – मुंगेली (छ.ग.)